उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग'2
सं0-45/2016/864/62-2-2016-2/4(33)/2015
लखनऊ: दिनांक: 02 मई,2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा नियमित चयनोपरांत उनके पत्र सं0-121(III)/3/पी/एस-12/2015-16, दिनांक 18.02.2016 द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर लघु सिंचाई विभाग के निम्नलिखित अवर अभियंताओं को सहायक अभियंता, लघु सिंचाई (पे बैण्ड-3 सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रू0-15600-39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0-5400/-) के पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जनपद में तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अभियंता का नाम	गृह जनपद	पदोन्नति के पश्चात तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1-	श्री अनिल कुमार शर्मा	इटावा	शामली
2-	श्री महेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	गाजीपुर	इलाहाबाद
3-	श्री बशीधर वर्मा	सीतापुर	ललितपुर
4-	श्री सौदान सिंह	अलीगढ	बुलन्दशहर
5-	श्री श्याम सुन्दर तिवारी	देवरिया	संतकबीरनगर
6-	श्री रवेन्द्र सिंह	अलीगढ	गोरखपुर
7-	श्री राम प्रसाद पुत्र श्री भग्गू	कानपुर नगर	मुख्यालय
8-	श्री रविशंकर पुत्र श्री कृपाशंकर	इलाहाबाद	वाराणसी
9-	श्री सतीश चन्द्र मौर्य	वाराणसी	मेरठ
10-	श्री मनोज कुमार शाह	मुंगेर (बिहार)	गाजियाबाद
11-	श्री राजेश कुमार वर्मा	इटावा	संतरविदासनगर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12-	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	वाराणसी	मुख्यालय
13-	श्री संजय कुमार	मुजफफरनगर	उन्नाव
14-	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	रायबरेली	झॉसी
15-	श्री नैयर आलम	बिजनौर	शाहजहॉपुर
16-	श्री धनश्याम सिंह	गाजीपुर	मुख्यालय

2- उक्त नवप्रोन्नति प्राप्त सहायक अभियंताओं की नियमानुसार पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव।

सं0-45/2016/864(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0-121(III)/3/पी/एस-12/2015-16, दिनांक 18.02.2016 के संदर्भ में।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
7- संबंधित सहायक अभियंता।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।